प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –528/2023

अनवान : –

1. गुरमुख पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मनफूल पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. दुर्गा देवी पत्नी जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विजय पुत्र जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रजनी पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सरोज पत्नी तिलोकचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. मनीषा पुत्री तिलोकचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. भागीरथ पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सावत्री पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. गुड्डी पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. विद्या पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सुमित्रा पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 21.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/105 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है० भूमि व खाता संख्या 119/107 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है० भूमि व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है० भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 133/137 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.6710 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि [illegible] 2 ता 12 का हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वयोवृद्ध [illegible] कोई हक हिस्सा नहीं रखना चाहता है तथा अपना सम्पूर्ण हक [illegible] जिज व्यक्तियों के [illegible] अपने तीनो पुत्र व उनके वारिसों के पक्ष में हक त्याग कर चुका है [illegible] प्रतिवादीया संख्या 9 [illegible] 12 जो कि वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 की संतान है उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5, 7 एवं 9 ता 12 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझोता रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में वादी काबिज है एवं रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 133/137 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.6710 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 119/107 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 6 काबिज है व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/105 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि के प0 नं0 344/371 (49) किला नं. 7/1 कि 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 7/2 की 0.2270 है0, 14, 17, 18, 23 प्रत्येक की 0.2530 है0 व किला नं. 24 के मिन उत्तर की 0.026 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीग स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 12 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/105 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि व खाता संख्या 119/107 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 133/137 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.6710 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 ता 12 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनतोष डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 12 द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 133/137 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.6710 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 119/107 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/105 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 344/371 (49) किला नं. 7/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 7/2 की 0.2270 है0, 14, 17, 18, 23 प्रत्येक की 0.2530 है0 व किला नं. 24 के मिन उत्तर की 0.026 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खाता की शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –528 / 2023

अनवान : –

1. गुरमुख पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनफूल पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. दुर्गा देवी पत्नी जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विजय पुत्र जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रजनी पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सरोज पत्नी तिलोकचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. मनीषा पुत्री तिलोकचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. भागीरथ पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सावत्री पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. गुड्डी पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. विद्या पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सुमित्रा पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 528 सन 2023 निर्णय दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 133/137 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.6710 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 119/107 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/105 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 344/371 (49) किला नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

7/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 7/2 की 0.2270 है0, 14, 17, 18, 23 प्रत्येक की 0.2530 है0 व किला नं. 24 के मिन उत्तर की 0.026 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खाता की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज की जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:29 IST
Reason: SelfAttested